तत्काल/आवश्यक

संख्या: 843 / III(1)/17–01(11)/आध0/2014

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 04 जुलाई, 2017

विषयः–लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं/कर्मचारियों की चरित्र प्रविष्टियां अद्यतन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–700/34(1) व्यक–सा0/14, दिनांक 24.03.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रश्नगत प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश अभियन्ताओं की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां विगत कई वर्षों से अपूर्ण हैं या प्राप्त नहीं है। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1712/कार्मिक–2/2003, दिनांक 18.12.2003 के द्वारा कर्मचारियों की चरित्र प्रविष्टियों को पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। उक्त शासनादेश में यह भी स्पष्ट है कि यदि किन्ही मामलों में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कोई अधिकारी स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध नहीं कराता है, तो प्रतिवेदक अधिकारी से मन्तव्य प्राप्त किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त शासनादेश के अनुसार यदि किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रविष्टि नहीं दी गई है, तो इस शिथिलता हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध भी दण्डात्मक/प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18.12.2003 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सभी कार्मिकों की चरित्र प्रविष्टियों को अद्यतन की जाय, यदि किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों की चरित्र प्रविष्टियां पूर्ण नहीं की हैं, तो उपरोक्त शासनादेश के अनुसार तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाय। अतः सभी कर्मचारियों की चरित्र प्रविष्टियां अद्यतन करते हुये शासन को उपलब्ध कराया जाय। प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

Rajwar GO Letter